



प्रेषक,

आनन्द प्रकाश,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ:दिनांक 05 जून, 2026

विषय:- 102 एम्बुलेंस सेवा संचालन के सापेक्ष व्ययभार वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-35 के अन्तर्गत उपलब्ध आय-व्ययक प्राविधान के विरुद्ध प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0(9)/अ-अ-70(102NAS-P-2-V-9/2026-27/245, दिनांक 06.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 102 एम्बुलेंस सेवा संचालन के सापेक्ष व्ययभार वहन किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-35 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2211- परिवार कल्याण, 00-800-अन्य व्यय-07-102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेस-00-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत धनराशि रु0 22500.00 लाख (रुपये दो अरब पच्चीस करोड़ मात्र) को अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
- (2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा जाएगा।
- (3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (4) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के ऑपरेशनल कास्ट की धनराशि के आंकलन/शुद्धता से स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
- (5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 सेवा प्रदाता को दिए गए इन्सेन्टिव व लगाये गए शास्ति (पेनाल्टी) के सापेक्ष किये गए वास्तविक भुगतान की धनराशि का स्वस्तर पर पुनः परीक्षण करते हुए भुगतान की अपरिहार्यता एवं देय धनराशि के आकड़ों की शुद्धता से स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
- (8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा हेतु भुगतान की गयी धनराशि के प्रति विशेष आंतरिक लेखा संपरीक्षा कराए जाने पर विचार करना चाहें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(9) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर की तुलना में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर में अन्तर का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर के अनुमोदन से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(10) उक्त एम्बुलेन्स सेवा के संचालन हेतु इनसैंटिव देने के निर्णय पर सक्षम स्तर के अनुमोदन से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(11) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,25,00,00,000 (रुपये दो अरब पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 2211008000700 102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द प्रकाश

उप सचिव।

संख्या-67/2026/1002(1)/001-5-9002-001-3-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 4- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 5- महाप्रबन्धक (ई०एम०टी०एस०) एस०पी०एम०यू०, 16, ए०पी० सेन रोड लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एम०एस०सी०एल०, लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/यू०पी०एम०एस०सी०एल०, लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।